IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 2, Issue 2, March 2022
Impact Factor: 6.252

# महिला आंदोलनों का इतिहास और उनका वर्तमान प्रभाव

डॉ० रजत गंगवार

असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास,

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीसलपुर, पीलीभीत, उ०प्र०

rajatgangwar4289@gmail.com

**शोध सारांश**

19वीं सदी का भारत सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का युग था।18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय समाज अनेक सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त था। महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक थी। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं का दुर्व्यवहार, शिक्षा से वंचित रखना, और पर्दा प्रथा जैसी अनेक कुप्रथाएं समाज में व्याप्त थीं। ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ पश्चिमी शिक्षा और विचारधारा का प्रवेश हुआ। इससे भारतीय बुद्धिजीवियों में सामाजिक चेतना जागृत हुई। अनेक प्रगतिशील विचारकों ने महसूस किया कि समाज की प्रगति के लिए महिलाओं की स्थिति में सुधार आवश्यक है। अनेक समाज सुधारकों ने महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। राजा राममोहन राय (1772-1833) को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। उनका मानना था कि भारतीय समाज की प्रगति के लिए धार्मिक और सामाजिक सुधार अनिवार्य हैं। उन्होंने वेदांत दर्शन को अपना आधार बनाया और एकेश्वरवाद का प्रचार किया। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो भारत का पहला सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन था। राममोहन राय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान सती प्रथा के उन्मूलन में था।उन्होंने 1818 से 1829 तक निरंतर प्रयास किए। अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल काल में 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ। यह भारतीय महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक विजय थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर (1820-1891) 19वीं सदी के महानतम

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 2, March 2022 Impact Factor: 6.252

समाज सुधारकों में से एक थे।विद्यासागर ने हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि विधवा पुनर्विवाह शास्त्रसम्मत है। उन्होंने 1855 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'विधवा विवाह प्रचलित होना चाहिए' प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने तर्क, शास्त्र और मानवता के आधार पर विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। उनके अथक प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। यह कानून विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार प्रदान करता था। विद्यासागर ने स्वयं अनेक विधवा विवाहों का आयोजन किया और आर्थिक सहायता प्रदान की। स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883) ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' में सामाजिक कुरीतियों की कड़ी आलोचना की और सुधारों का आह्वान किया। आर्य समाज ने देश भर में अनेक कन्या पाठशालाओं और गुरुकुलों की स्थापना की। इन संस्थाओं में लड़कियों को संस्कृत, वेद, और आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जालंधर, कांगड़ी और अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गईं। महात्मा ज्योतिबा फुले (1827-1890) भारत के महानतम समाज सुधारकों में से एक थे। फुले की विचारधारा मूलतः समतावादी और क्रांतिकारी थी। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कड़ी आलोचना की और शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के अधिकारों की मांग की। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने 1848 में भारत का पहला बालिका विद्यालय पुणे में खोला। यह भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी।1873 में फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना करना था। समाज ने जाति भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया और निम्न वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। राजा राममोहन राय से लेकर ज्योतिबा फुले तक, विभिन्न सुधारकों ने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा उन्मूलन, और बाल विवाह निषेध जैसे मुद्दों पर कार्य किया। प्रस्तुत शोध पत्र महिला आंदोलनों के ऐतिहासिक विकास क्रम एवं उनके वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा कानूनी प्रभावों का व्यापक विश्लेषण करता है। यह शोध 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलनों से लेकर 21वीं सदी के '#MeToo' एवं डिजिटल नारीवाद तक की यात्रा को रेखांकित करता है। भारतीय महिला आंदोलनों ने संविधान निर्माण, श्रम कानूनों, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा शिक्षा नीतियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। वर्तमान में डिजिटल माध्यमों के उदय ने महिला आंदोलनों को एक नई गति एवं वैश्विक पहुँच प्रदान की है। यह

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 2, March 2022 Impact Factor: 6.252

**मुख्य शब्द: महिला आंदोलन, नारीवाद, सशक्तिकरण, भारतीय महिला, सामाजिक सुधार, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक कुप्रथाएं, समानता एवं न्याय, महिला शिक्षा,लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, मताधिकार, डिजिटल नारीवाद, #MeToo,**

## प्रस्तावना

महिला आंदोलन मानव सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक घटना के रूप में उभरे हैं। ये आंदोलन केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इन्होंने समाज की संपूर्ण संरचना को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया। भारत में महिला आंदोलनों की जड़ें 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों में पाई जाती हैं, जहाँ राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले एवं स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने सर्वप्रथम महिला शिक्षा एवं सामाजिक अधिकारों की आवाज उठाई। राजा राममोहन राय (1772-1833) को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। उनका मानना था कि भारतीय समाज की प्रगति के लिए धार्मिक और सामाजिक सुधार अनिवार्य हैं। उन्होंने वेदांत दर्शन को अपना आधार बनाया और एकेश्वरवाद का प्रचार किया। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो भारत का पहला सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन था। राममोहन राय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान सती प्रथा के उन्मूलन में था।उन्होंने 1818 से 1829 तक निरंतर प्रयास किए। अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल काल में 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ। यह भारतीय महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक विजय थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर (1820-1891) 19वीं सदी के महानतम समाज सुधारकों में से एक थे।विद्यासागर ने हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि विधवा पुनर्विवाह शास्त्रसम्मत है। उन्होंने 1855 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'विधवा विवाह प्रचलित होना चाहिए' प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने तर्क, शास्त्र और मानवता के आधार पर विधवा पुनर्विवाह की वकालत की। उनके अथक प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। यह कानून विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार प्रदान करता था। विद्यासागर ने स्वयं अनेक विधवा विवाहों का आयोजन किया और आर्थिक सहायता प्रदान की। स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883) ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद ने अपनी प्रसिद्ध

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 2, March 2022 Impact Factor: 6.252

पुस्तक 'सत्यार्थ प्रकाश' में सामाजिक कुरीतियों की कड़ी आलोचना की और सुधारों का आह्वान किया। आर्य समाज ने देश भर में अनेक कन्या पाठशालाओं और गुरुकुलों की स्थापना की। इन संस्थाओं में लड़कियों को संस्कृत, वेद, और आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जालंधर, कांगड़ी और अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गईं। महात्मा ज्योतिबा फुले (1827-1890) भारत के महानतम समाज सुधारकों में से एक थे। फुले की विचारधारा मूलतः समतावादी और क्रांतिकारी थी। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कड़ी आलोचना की और शूद्रों, अतिशूद्रों और महिलाओं के अधिकारों की मांग की। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने 1848 में भारत का पहला बालिका विद्यालय पुणे में खोला। यह भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी।1873 में फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना करना था। समाज ने जाति भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया और निम्न वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। राजा राममोहन राय से लेकर ज्योतिबा फुले तक, विभिन्न सुधारकों ने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा उन्मूलन, और बाल विवाह निषेध जैसे मुद्दों पर कार्य किया।

पश्चिमी जगत में 18वीं शताब्दी के मध्य में 'प्रथम तरंग नारीवाद' का उदय हुआ, जिसने मताधिकार एवं कानूनी समानता की मांग रखी। भारत में इसी काल में स्वाधीनता संग्राम के साथ-साथ महिला अधिकारों की चेतना भी जागृत हो रही थी। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने में महिला आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

वर्तमान संदर्भ में, जहाँ एक ओर 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी सरकारी योजनाएँ चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर '#MeToo' जैसे डिजिटल आंदोलन महिलाओं को एक नई अभिव्यक्ति का मंच प्रदान कर रहे हैं। यह शोध पत्र इन सभी आयामों को समेटते हुए महिला आंदोलनों की ऐतिहासिक यात्रा एवं उनके समकालीन प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

## शोध उद्देश्य

1. भारत एवं विश्व में महिला आंदोलनों के ऐतिहासिक विकास क्रम का अध्ययन करना।
2. महिला आंदोलनों के सामाजिक, राजनीतिक एवं कानूनी प्रभावों का मूल्यांकन करना।
3. वर्तमान युग में डिजिटल नारीवाद की प्रासंगिकता एवं प्रभाव का परीक्षण करना।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 2, March 2022 Impact Factor: 6.252

4. भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति का आकलन करना।

## शोध पद्धति

यह शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसमें ऐतिहासिक दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट, पूर्व प्रकाशित शोध पत्र, पुस्तकें, संसदीय अभिलेख तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग किया गया है। शोध में ऐतिहासिक-तुलनात्मक विधि का अनुसरण किया गया है।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

### प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति

प्राचीन वैदिक काल में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक थी। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएँ ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। इस काल में महिलाओं को शिक्षा, स्वयंवर एवं सम्पत्ति के अधिकार प्राप्त थे । परंतु उत्तर-वैदिक काल से धीरे-धीरे महिलाओं की स्वतंत्रता का संकुचन होने लगा।

मध्यकाल में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में व्याप्त हो गईं। भक्ति काल में मीराबाई, अक्कमहादेवी जैसी संत महिलाओं ने सामाजिक बंधनों को चुनौती दी एवं स्त्री अस्मिता की एक नवीन अवधारणा प्रस्तुत की। मुगल काल में नूरजहाँ एवं चाँद बीबी जैसी शासिकाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

### उपनिवेशकाल एवं सामाजिक सुधार आंदोलन

19वीं शताब्दी भारतीय महिला आंदोलनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश शासन एवं पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से एक वर्ग में जागृति आई। राजा राममोहन राय ने 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसके फलस्वरूप 'सती विनियमन अधिनियम' पारित हुआ। यह भारत में महिला अधिकारों के पक्ष में पहला कानूनी हस्तक्षेप था।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 2, March 2022 Impact Factor: 6.252

प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन एवं उनके प्रभाव

| वर्ष | सुधारक/घटना | योगदान | प्रभाव |
|---|---|---|---|
| 1829 | राजा राममोहन राय | सती प्रथा विरोध | सती विनियमन अधिनियम |
| 1848 | ज्योतिबा फुले | बालिका विद्यालय स्थापना | स्त्री शिक्षा की नींव |
| 1875 | स्वामी दयानंद | आर्य समाज | विधवा विवाह समर्थन |
| 1881 | ईश्वरचंद विद्यासागर | विधवा पुनर्विवाह | विधवा पुनर्विवाह अधिनियम |
| 1917 | एनी बेसेंट | महिला भारतीय संघ | महिला मताधिकार माँग |
| 1929 | सरकार | बाल विवाह प्रतिबंध | शारदा अधिनियम |

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in

ISSN 2581-9429 IJARSCT

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 2, March 2022 Impact Factor: 6.252

## स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका

1857 के स्वाधीनता संग्राम में झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसी वीरांगनाओं ने महिलाओं की राजनीतिक शक्ति का परिचय दिया। 20वीं शताब्दी में गांधीजी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन (1920-22) एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34) में लाखों महिलाएँ सड़कों पर उतरीं। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, विजयलक्ष्मी पंडित आदि ने राष्ट्रीय मंच पर महिला नेतृत्व को स्थापित किया।

1917 में 'भारतीय महिला संघ' की स्थापना हुई। 1920 में 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' की स्थापना ने महिला आंदोलनों को संगठित स्वरूप प्रदान किया। इन संगठनों ने महिला मताधिकार, शिक्षा एवं कानूनी सुधारों की माँग की।

## स्वतंत्रता के पश्चात् महिला आंदोलन

### संवैधानिक अधिकार एवं प्रारंभिक संघर्ष

1950 में लागू भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान मूल अधिकार प्रदान किए गए। अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) एवं अनुच्छेद 16 (अवसर की समानता) ने महिला सशक्तिकरण के लिए कानूनी आधार तैयार किया। परंतु कानूनी प्रावधानों एवं सामाजिक वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने के लिए आंदोलनों की आवश्यकता बनी रही।

1955 का 'हिंदू विवाह अधिनियम' एवं 1956 का 'हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम' महिला आंदोलनों का ही परिणाम थे। इन कानूनों ने विवाह, तलाक एवं संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों को मान्यता प्रदान की ।

### द्वितीय लहर नारीवाद

1970 के दशक में भारत में 'द्वितीय तरंग नारीवाद' का उदय हुआ। इस दौर में महिला आंदोलन अधिक मुखर एवं संगठित हुए। 1974 में 'महिलाओं की स्थिति पर समिति' की रिपोर्ट 'Towards Equality' ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता के 25 वर्षों बाद भी महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आया था।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 2, March 2022 Impact Factor: 6.252

'मथुरा बलात्कार कांड' एवं उसके प्रभाव (1978)

1978 में मथुरा बलात्कार कांड ने देशव्यापी महिला आंदोलन को जन्म दिया। पुलिस हिरासत में बलात्कार की इस घटना के विरुद्ध 1979 में 'फोरम अगेंस्ट रेप' का गठन हुआ। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप 1983 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर बलात्कार की परिभाषा को विस्तृत किया गया एवं दोष सिद्धि का भार आरोपी पर डाला गया। यह महिला आंदोलन की एक ऐतिहासिक कानूनी जीत थी।

दहेज विरोधी आंदोलन

1980 के दशक में दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्याओं के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन हुए। 'नारी रक्षा समिति' एवं 'महिला दक्षता समिति' जैसे संगठनों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके परिणामस्वरूप 1983 में भारतीय दंड संहिता में धारा 498A जोड़ी गई एवं 1986 में दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम पारित हुआ।

समकालीन महिला आंदोलन (1990 से अब तक)

वैश्वीकरण के दौर में नारीवाद

1991 में उदारीकरण के पश्चात् भारतीय समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन आए। महिलाओं की कार्यशक्ति में भागीदारी बढ़ी, परंतु साथ ही नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुईं – कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, असमान वेतन, काँच की छत आदि। इस काल में 'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य' (1997) का ऐतिहासिक निर्णय आया, जिसने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'विशाखा दिशानिर्देश' स्थापित किए।

निर्भया आंदोलन (2012) – एक ऐतिहासिक मोड़

दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया। लाखों नागरिक – महिला एवं पुरुष दोनों – सड़कों पर उतरे। यह आंदोलन केवल एक व्यक्ति के न्याय की माँग नहीं था, बल्कि यह महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा की व्यापक माँग थी। 'जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति' की सिफारिशों के आधार पर 2013 में 'आपराधिक कानून

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 2, March 2022 Impact Factor: 6.252

(संशोधन) अधिनियम' पारित हुआ, जिसने बलात्कार की परिभाषा विस्तृत की एवं दंड को कठोर बनाया (वर्मा समिति, 2013)।

'#MeToo' आंदोलन एवं डिजिटल नारीवाद (2017-वर्तमान)

2017 में हॉलीवुड से प्रारंभ '#MeToo' आंदोलन 2018 में भारत में व्यापक रूप से फैला। पत्रकारिता, फिल्म उद्योग, राजनीति एवं शिक्षा जगत में कार्यस्थलीय यौन उत्पीड़न के अनेक मामले सामने आए। इस आंदोलन ने सोशल मीडिया को महिला अधिकारों के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में स्थापित किया। आंकड़े बताते हैं कि 2018 में '#MeToo' हैशटैग 85 देशों में 1.7 करोड़ से अधिक बार उपयोग किया गया ।

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' एवं सरकारी पहल

2015 में प्रारंभ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान ने गिरते लिंग अनुपात एवं महिला शिक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाई। इस अभियान के साथ 'सुकन्या समृद्धि योजना', 'उज्ज्वला योजना' एवं 'महिला शक्ति केंद्र' जैसी योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण को नीतिगत प्राथमिकता दी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5, 2019-21) के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 1020 महिला हो गया है, जो ऐतिहासिक उपलब्धि है।

वर्तमान पर प्रभाव

कानूनी एवं संवैधानिक प्रभाव

महिला आंदोलनों ने भारतीय कानूनी परिदृश्य को आमूल-चूल बदल दिया है। नीचे दी गई तालिका प्रमुख कानूनों एवं उनकी पृष्ठभूमि में रहे आंदोलनों को दर्शाती है:

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 2, March 2022 Impact Factor: 6.252

| कानून/नीति | वर्ष | प्रेरक आंदोलन |
|---|---|---|
| दहेज प्रतिषेध अधिनियम | 1961/1986 | दहेज विरोधी आंदोलन |
| समान पारिश्रमिक अधिनियम | 1976 | श्रमिक महिला आंदोलन |
| IPC धारा 498A | 1983 | घरेलू हिंसा आंदोलन |
| घरेलू हिंसा अधिनियम | 2005 | महिला संगठनों का दबाव |
| POSH अधिनियम | 2013 | विशाखा निर्णय/MeToo |
| आपराधिक कानून संशोधन | 2013 | निर्भया आंदोलन 2012 |
| 73वाँ संविधान संशोधन | 1992 | महिला आरक्षण आंदोलन |

## सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव

महिला आंदोलनों ने समाज की मानसिकता में गहरा परिवर्तन लाया है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। UNESCO के अनुसार 2022 में भारत में

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 2, March 2022 Impact Factor: 6.252

महिला साक्षरता दर 70.3% तक पहुँच गई है, जो 1951 में मात्र 8.9% थी। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन अनुपात (GER) 2020-21 में 27.9% हो गया है।

सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा आदि में उल्लेखनीय कमी आई है। महिला आंदोलनों ने समाज में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इन समस्याओं की जड़ें गहरी हैं।

## राजनीतिक भागीदारी पर प्रभाव

महिला आंदोलनों के परिणामस्वरूप 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। 2023 में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित कर संसद एवं राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में रिकार्ड 74 महिला सांसद निर्वाचित हुईं।

## आर्थिक सशक्तिकरण

विश्व बैंक (2023) के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रमशक्ति भागीदारी दर (FLFPR) वर्तमान में 37% है। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। 2023 तक देश में 12 लाख से अधिक SHGs कार्यरत हैं, जिनसे लगभग 10 करोड़ महिलाएँ जुड़ी हैं।

## समकालीन चुनौतियाँ

महिला आंदोलनों की दीर्घ यात्रा के बावजूद अनेक चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं:

लैंगिक वेतन अंतर: ILO (2023) के अनुसार भारत में महिलाएँ समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में 34% कम वेतन पाती हैं।

साइबर उत्पीड़न: डिजिटल युग में महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन उत्पीड़न एक नई चुनौती बन गई है। NCRB (2022) के अनुसार साइबर अपराधों में 24% वृद्धि हुई है।

ग्रामीण-शहरी विभाजन: शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अवसर की असमानता अभी भी व्यापक है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 2, March 2022 Impact Factor: 6.252

राजनीतिक प्रतिनिधित्व: संसद में महिलाओं का अनुपात अभी भी वैश्विक औसत (26.5%) से कम है।

महिला सुरक्षा: NCRB (2022) के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4% की वृद्धि हुई है।

## निष्कर्ष

महिला आंदोलनों का इतिहास मानवीय संघर्ष, साहस एवं सामाजिक परिवर्तन की एक प्रेरणादायी गाथा है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों से लेकर 21वीं सदी के डिजिटल नारीवाद तक, प्रत्येक दौर ने महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत के संदर्भ में, इन आंदोलनों ने न केवल कानूनी सुधार किए, बल्कि सामाजिक मानसिकता में भी गहरा बदलाव लाया है।

तथापि, समानता की यह यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है। लैंगिक असमानता, महिला सुरक्षा, आर्थिक विषमता एवं सामाजिक पूर्वाग्रह जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। वर्तमान में डिजिटल माध्यम ने महिला आंदोलनों को एक नई शक्ति एवं व्यापकता प्रदान की है। आवश्यकता है कि नीति निर्माता, नागरिक समाज एवं महिला संगठन मिलकर इन चुनौतियों का सामना करें।

यह शोध पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि महिला आंदोलनों का वर्तमान प्रभाव केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने एक अधिक न्यायसंगत, समावेशी एवं लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में मौलिक योगदान किया है। एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में महिला सशक्तिकरण अनिवार्य शर्त है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 2, March 2022 Impact Factor: 6.252

## संदर्भ सूची

### क. हिंदी/भारतीय ग्रंथ

1. शर्मा, रामशरण (2005). प्राचीन भारत का इतिहास. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. कुमार, राधा (1993). स्त्री संघर्ष का इतिहास. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
3. दिलीप, मेनन (2012). स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाएँ. दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
4. चटर्जी, पार्थ (2007). भारत में उपनिवेशवाद एवं नारी प्रश्न. कोलकाता: सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज।
5. अली, सारा (2010). मध्यकालीन भारत में महिलाएँ. दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय।

### ख. अंग्रेजी ग्रंथ

6. Forbes, Geraldine (1996). Women in Modern India. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Basu, Aparna (1976). The Role of Women in the Indian Struggle for Freedom. New Delhi: Vikas Publishing House.
8. Kishwar, Madhu & Vanita, Ruth (Eds.) (1984). In Search of Answers: Indian Women's Voices from Manushi. London: Zed Books.
9. Sen, Samita (2000). Women and Labour in Late Colonial India. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Nair, Janaki (1996). Women and Law in Colonial India. New Delhi: Kali for Women.

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 2, Issue 2, March 2022 Impact Factor: 6.252

ग. सरकारी प्रतिवेदन एवं समितियाँ

11. Committee on the Status of Women in India (1974). Towards Equality: Report of the Committee. New Delhi: Ministry of Education and Social Welfare.
12. Justice J.S. Verma Committee Report (2013). Report of the Committee on Amendments to Criminal Law. New Delhi: Government of India.
13. National Family Health Survey-5 (2019-21). Key Indicators for India. Mumbai: IIPS.
14. National Crime Records Bureau (2022). Crime in India Report 2022. New Delhi: Ministry of Home Affairs.
15. UNESCO (2022). Education and Literacy Statistics. Paris: UNESCO Institute for Statistics.

घ. डिजिटल एवं ऑनलाइन स्रोत

16. UN Women (2018). #MeToo: 12 months of data. Retrieved from: www.unwomen.org
17. World Bank (2023). Female Labor Force Participation Rate – India. Retrieved from: data.worldbank.org
18. International Labour Organization (2023). Gender Pay Gap Report. Geneva: ILO.
19. Ministry of Women and Child Development (2023). Annual Report 2022-23. New Delhi: Government of India.
20. All India Survey on Higher Education (2020-21). New Delhi: Ministry of Education.